डब्ल्यूपीएसएस नंबर 331/ 2022

साथ

डब्ल्यूपीएसएस नंबर 431/2022

<u>माननीय मनोज कुमार तिवारी, जे.</u>

श्री राजेंद्र डोभाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के वकील श्री शुभांग डोभाल ने सहायता की।

श्री राकेश कुँवर, अतिरिक्त सी.एस.सी. उत्तराखंड राज्य के लिए।

उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना।

चूँकि इन रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल होते हैं, इसलिए इन पर एक साथ सुनवाई की गई और एक सामान्य निर्णय लिया जा रहा है। हालाँकि, संक्षिप्तता के लिए, रिट याचिका (एस/एस) संख्या 331 की 2022 के तथ्यों पर विचार और चर्चा की जा रही है।

याचिकाकर्ता को दिनांक 17.08.2004 के आदेश द्वारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी में पर्वतारोहण प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 08.09.2005 के आदेश द्वारा उक्त पद पर उनकी सेवाओं की पुष्टि की गई।

संस्थान में लागू सेवा नियमों के अनुसार पर्वतारोहण प्रशिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 48 वर्ष है, जिसे 55 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रासंगिक प्रावधान अर्थात् नेहरू पर्वतारोहण संस्थान सेवा नियम का नियम 25(बी), जिसे रिट याचिका के पैरा 11 में उद्धृत किया गया है, नीचे दिया गया है:-

"पर्वतारोहण प्रशिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 48 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी अधिकतम आयु 55 वर्ष. यह विस्तार एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि:

(ए) गोपनीय रिपोर्ट।

(बी) मेडिकल फिटनेस।

(सी) प्रशिक्षकों के विस्तार/समाप्ति के लिए प्रदर्शन/फिटनेस/उपयुक्तता के विश्लेषणात्मक मूल्यांकन के आधार पर प्राचार्य की सिफारिश।

(डी) सचिवों की मंजूरी।"

याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 10.01.1974 है, इसलिए, उन्होंने 09.01.2022 को 48 वर्ष की आयु पूरी कर ली, और उन पर लागू सेवा नियमों के अनुसार, उनका सेवा कार्यकाल 31.01.2022 को समाप्त हो गया।

याचिकाकर्ता ने 07.09.2021 को एक आवेदन दायर कर लागू नियमों के अनुसार सेवा विस्तार की मांग की। अपने आवेदन के साथ याचिकाकर्ता ने अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और बायोडाटा संलग्न किया। संस्थान के प्राचार्य ने याचिकाकर्ता के आवेदन को दिनांक 08.01.2022 के पत्र के माध्यम से सचिव (एनआईएम), दिल्ली को भेज दिया। चूंकि सचिव (एनआईएम) से याचिकाकर्ता के सेवा विस्तार के संबंध में आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए प्राचार्य की ओर से दिनांक 31.01.2022 को जारी पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मूल राहत की मांग की है: -

(क) भारत सरकार के उप सचिव द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14.01.2022 और इस रिट याचिका के लिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 को रद्द करने के लिए प्रमाणन की प्रकृति में जारी, रिट, आदेश या निर्देश।

(ख) नियमों के तहत वरिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में सेवा विस्तार के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट या आदेश जारी करें।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजेंद्र डोभाल का तर्क है कि प्रशिक्षक के रूप में उनके सराहनीय कार्य के लिए याचिकाकर्ता को कई प्रमाण पत्र दिए गए थे; उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा वरिष्ठ पर्वतारोहण प्रशिक्षक के रूप में भी नामित किया गया था; वह चिकित्सकीय रूप से फिट है और उसके सेवा रिकॉर्ड में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है, इसलिए, वह कानूनी रूप से 55 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार का हकदार है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि अतीत में, अन्य पर्वतारोहण प्रशिक्षकों को 55 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति थी।

रिट याचिका के पैरा 20 में, यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता चिकित्सकीय रूप से फिट है और उसके पूरे सेवा करियर में उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है, इसलिए, वह कानूनी रूप से 55 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार का हकदार है। पैरा 21 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता सेवा विस्तार के नियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, लेकिन बिना कोई कारण बताए उसे सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया गया है।

इन कथनों का उत्तर प्रिंसिपल (एनआईएम) द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 19 में दिया गया है, जिसे नीचे दिया गया है:-

"19. पैरा क्रमांक 19 की विषयवस्तु. 25 में से रिट याचिका को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए उसके जवाब में इनकार कर दिया गया है, यहां प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सेवा का विस्तार 55 वर्ष की आयु तक सभी चार शर्तों को पूरा करने के अधीन किया जा सकता है। नियम 25 बी और उसके परिशिष्ट में उल्लेखित है लेकिन याचिकाकर्ता नहीं करता है उसे पूरा करें और आज भी वह सेवा में नहीं है और 31.01.2022 को सेवानिवृत्त हो गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को एक्सटेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

इसके अलावा यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता ने 25 (बी) में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसलिए याचिकाकर्ता पर्वतारोहण प्रशिक्षक के पद पर अपनी सेवा जारी नहीं रखेगा। एनआईएम सेवा नियम 25(बी) के अनुसार याचिकाओं में उल्लिखित चार शर्तों में से दो शर्तों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है। पहला है प्रशिक्षकों के प्रदर्शन/फिटनेस/विस्तार की समाप्ति के लिए प्रदर्शन/फिटनेस/उपयुक्तता के विश्लेषणात्मक मूल्यांकन के आधार पर प्रिंसिपल की सिफारिश और दूसरा है सचिवालयों की मंजूरी।"

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रिंसिपल (एनआईएम) द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2022 के जवाब में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी (एचएमआई) द्वारा जारी दिनांक 14.01.2022 के संचार का उल्लेख किया है। उक्त संचार में कुछ अन्य कर्मचारियों के सेवा विस्तार के संबंध में जारी पूर्व पत्र दिनांक 13.05.2019 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें

कहा गया था कि उन कर्मचारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और उनकी सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पद खुले बाजार से भरा जाना चाहिए। हालाँकि, उक्त संचार के पैरा 3 में, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को पहले की सलाह के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले के संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, यह स्पष्ट है कि सेवा विस्तार के लिए याचिकाकर्ता का मामला, जिसे प्रिंसिपल (एनआईएम) ने पत्र दिनांक 08.01.2022 के माध्यम से अग्रेषित किया था, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अब तक उस पर विचार नहीं किया गया है।

सेवा नियम पर्वतारोहण प्रशिक्षक को एक वैध अपवाद देते हैं कि 48 वर्ष से अधिक आयु के सेवा विस्तार के उनके मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता नियमों में उल्लिखित पहली दो शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्, उसकी गोपनीय रिपोर्ट अच्छी है और वह सेवा विस्तार के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति यह है कि प्रिंसिपल ने उनके मामले को विस्तार के लिए अनुशंसित नहीं किया है और सचिव की मंजूरी चाहते हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि प्रिंसिपल ने दिनांक 08.01.2022 के पत्र के माध्यम से सेवा विस्तार के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश की है, हालांकि, सचिव (प्रतिवादी संख्या 2) ने उक्त सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया है, अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता के लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।. उन्होंने आगे कहा कि उत्तरदाताओं को सचिव (एनआईएम) की निष्क्रियता का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई उपरोक्त दलील में तथ्य पाता है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि सचिव (एनआईएम) ने सेवा विस्तार के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया। दिनांक 14.01.2022 का संचार अनुभाग अधिकारी (एचएमआई), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह भी संकेत नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया था और वास्तव में उक्त पत्र द्वारा, प्रिंसिपल से टिप्पणियां मांगी गई थीं। चूंकि लागू

सेवा नियमों के तहत, याचिकाकर्ता को वैध उम्मीद है कि सेवा विस्तार के लिए उसके मामले पर विचार किया जाएगा, इसलिए, मामले में सूचित निर्णय लेना सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर था।

चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने अभी भी लागू सेवा नियमों के संदर्भ में मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए, रिट याचिकाओं को प्रतिवादी संख्या 2 के निर्देश के साथ निपटाया जाता है की इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, सेवा नियमों के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार, सेवा विस्तार के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करें।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)
23.11.2022

अर्पण